**Madhya Pradesh Pollution Control Board**
**Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal – 16**
Phone:pbx:0755-2464428,fax:0755-2463742 e-mail:it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक /तक/प्रनिबो/2017, भोपाल, दिनॉक

## // कार्यालय आदेश //

भारत सरकार के उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सीमा कर विभाग द्वारा समय-समय पर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) के अन्तर्गत विभिन्न पदार्थो को जप्त किया जाता है व जप्तशुदा पदार्थो के प्रकरणों का न्यायालय द्वारा निराकरण करने के पश्चात् उनका पर्यावरण के लिए सुरक्षित विधि से विनिष्टीकरण आवश्यक होता है। वर्तमान में संबंधित विभाग द्वारा आवेदन करने पर जप्तशुदा पदार्थों को प्रदेश की सीमेंट क्लिन में को-प्रोसेसिंग के माध्यम से प्रकरणवार विनिष्टीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। सामान्यतः जप्तशुदा पदार्थ परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत उल्लेखित अपशिष्टों की श्रेणी में नहीं होते हैं एवं सीमेंट क्लिन में उनके विनिष्टीकरण से मूलतः सीओ एवं सीओटू के उत्सर्जन होने की संभावना रहती है। उपरोक्त पदार्थों के विनिष्टीकरण से उत्पाद या उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है अतः ऐसे सीमेंट उद्योग जहाँ को-प्रोसेसिंग हेतु फीडिंग की पर्याप्त तकनीकी व्यवस्था है में ऐसे जप्तशुदा पदार्थो के विनिष्टीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जप्तशुदा ऐसे पदार्थ जो परिसंकटमय अपशिष्टों की श्रेणी में नहीं हैं को सीमेंट क्लिन में विनिष्टीकरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी जिनके क्षेत्र में पदार्थ एकत्रित हैं एवं क्षेत्रीय अधिकारी जिनके क्षेत्र में निकटतम सीमेंट उद्योग स्थापित हैं) आपस में व संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियंत्रित मात्रा में पदार्थों के विनिष्टीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे :-

1. सामग्री को सीमेंट क्लिन में उपयोग करते समय सक्षम पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

**Madhya Pradesh Pollution Control Board**
**Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal – 16**
Phone:pbx:0755-2464428,fax:0755-2463742 e-mail:it_mppcb@rediffmail.com

2. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कम से कम कनिष्ट वैज्ञानिक स्तर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
3. जप्तशुदा पदार्थों को नियंत्रित मात्रा में फीड किया जायेगा एवं फीडिंग के समय संबंधित सीमेंट उद्योग द्वारा वायु गुणवत्ता का मापन किया जायेगा एवं वायु मापन रिपोर्ट बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. संबंधित सीमेंट उद्योग द्वारा जप्तशुदा पदार्थों के विनिष्टीकरण के संबंध में पंजी का संधारण किया जायेगा जिसमें सामग्री की मात्रा, फीडिंग की दर, फीडिंग प्रारंभ होने की तिथि व समय, फीडिंग समाप्त होने की तिथि व समय एवं फीडिंग के समय वायु गुणवत्ता का उल्लेख किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार पदार्थों के विनिष्टीकरण हेतु पृथक से बोर्ड मुख्यालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

( ए.ए. मिश्रा )
सदस्य सचिव

पृ.क. 2323 /तक/प्रनिबो/2017, भोपाल, दिनॉक 14-8-2017

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. समस्त शाखा प्रभारी, .................., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल/ इन्दौर/ धार/ पीथमपुर/एसईजेड़ पीथमपुर/ग्वालियर/ शहडोल/ जबलपुर/ गुना/ छिंदवाड़ा/ उज्जैन/देवास/ सागर/ सतना/ रीवा/ कटनी/ सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु ।
3. प्रभारी, आई.टी. शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं बोर्ड की बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।

( ए.ए. मिश्रा )
सदस्य सचिव